उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

मुख्यालय: राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ- 226007, दूरभाष: +91 9151602229, +91 9151642229	**क्षेत्रीय कार्यालय:** एच-169, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर- 201308, दूरभाष: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111

Website: www.up-rera.in, **E-mail:** contactuprera@up-rera.in,
Twitter: https://x.com/UPRERAofficial?t=4uwoQBDlV3UWtl-tGBhPVA&s=08
Facebook: https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL,
Youtube: https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qaJaOVbA4fj-Oyao

प्रेस नोट

लखनऊ: 15-06-2024

पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता के लिखित बहस के आधार पर शिकायतों का पूर्ण समाधान कराएगा रेरा

- आवंटियों की सुविधा हेतु उनकी याचित अनुतोष को संक्षिप्त तथा सटीक रूप से रेरा पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उ.प्र. रेरा का प्रयास।
- इस प्रारूप के आधार पर एक शिकायतकर्ता रेरा पीठ के समक्ष याचित अनुतोष के सम्बन्ध में तथ्यों को अंतिम आदेश के पूर्व लिखित रूप में स्पष्ट करेगा।
- शिकायतकर्ता द्वारा याचित अनुतोष का लिखित विवरण दिए जाने के बाद प्राप्त अंतिम आदेश के प्रति संशय और भ्रम की स्थिति समाप्त की जा सकेगी।
- रेरा पीठ के समक्ष शिकायत का शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराने हेतु प्राधिकरण द्वार प्रारूप तैयार कराकर पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

लखनऊ/ गौतमबुद्ध नगर: प्राधिकरण द्वारा कई मामलों में यह पाया गया कि रेरा पीठ में सुने गए मामलों में निर्णय देने के बाद शिकायतकर्ताओं द्वारा अपने याचित अनुतोष में बदलाव किया जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने याचित अनुतोष में पूर्ण स्पष्टता न होने के कारण पीठ से प्राप्त अंतिम आदेश पर संशय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तथा शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

उपरोक्त समस्या का निवारण करने हेतु प्राधिकरण द्वारा शिकायतकर्ता के याचित अनुतोष तथा पीठ में हुई बहस के अनुसार अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व शिकायतकर्ता द्वारा अपने वाद को बल देने के लिए लिखित बहस प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है। यह एक ऐसा अभिनव प्रयास किया है जिसमें शिकायतकर्ता रेरा पीठ के समक्ष याचित अनुतोष लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकेगा जिससे उसके मन में

कोई संशय या भ्रम की स्थिति नही उत्पन्न होगी और प्राप्त आदेश के अनुसार बिना विचलित हुए शिकायतों के निस्तारण में अपनी भूमिका निभा सकेंगे।

उ.प्र. रेरा ने धारा-31 के अन्तर्गत मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय की पीठों में चल रहे वादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए शिकायतकर्ताओं से रेरा पीठ के समक्ष याचित अनुतोष का संक्षिप्त और सटीक विवरण रखने के लिए एक लिखित बहस का मानक प्रारूप तैयार कराया है। इस प्रारूप के अनुसार शिकायतकर्ता अपनी प्रॉपर्टी का पूर्ण विवरण अंकित करते हुए, एग्रीमेन्ट फॉर सेल, प्रोमोटर को किए हुए भुगतानों, अपनी शिकायत तथा रेरा पीठ के समक्ष याचित अनुतोष को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा। इस प्रारूप के आधार पर शिकायतकर्ता की याचित अनुतोष में स्पष्टता आएगी जिससे किसी भी प्रकार का संशय किसी भी पक्षकार के मन में ना रहे। शिकायतकर्ता की इस लिखित बहस के बाद रेरा पीठ अपना अंतिम आदेश जारी करेगा जिससे आदेश का अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सकेगा।

उ.प्र. रेरा अध्यक्ष, संजय भूसरेड्डी के अनुसार हमने कई मामलों में शिकायतकर्ता को अपनी याचित अनुतोष से विचलित होते हुए देखा है जिससे प्राधिकरण के साथ-साथ अन्य पक्षकारों का समय और श्रम दोनों व्यर्थ होता है। न्यायिक प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्राधिकरण अब शिकायतकर्ता से लिखित याचित अनुतोष की प्रस्तुति के आधार पर अंतिम आदेश जारी करेगा जिससे शिकायतकर्ता को संतोषप्रद अंतिम आदेश प्राप्त हो सके, वह अपने याचित अनुतोष से विचलित न हो तथा शिकायत का विधि सम्मत निस्तारण सुनिश्चित कराया जा सके।

प्राधिकरण शीघ्र ही प्रोमोटर हेतु भी ऐसा ही मानक प्रारूप लाने वाले है जिससे अंतिम आदेश के बाद दोनों पक्षों में सामंजस्य बना रहे और मामलों का शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जा सके।